सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 71/18 निर्णय दिनांकः 13.07.2018

1. जगवन्त सिंह उर्फ जसवन्त सिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 15/क/4 एफ.सी. श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 26—10—1999
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—
1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 26—10—1999 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि किश्तों के अभाव में खारिज की गई, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील खाजुवाला के चक 7 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 117/57 की 22 बीघा भूमि दिनांक 30—09—1995 को आवंटित की गई। अपीलांट को उक्त रकबा आवंटन कर दिया गया। किन्तु उक्त रकबे को किश्तों की राशि

25641/— अलावा ब्याज जमा नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—10—1999 के विरूद्व अपील 18—01—2018 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों की राशि मय ब्याज जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—10—1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 18—01—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 7 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 117/57 के किला नम्बर 2 ता 9 तथा किला नम्बर 12 ता 25 में 22 बीघा भूमि के विशेष आवंटन के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन भी दिनांक 30—09—1995 को कर दिया गया। अपीलांट को उक्त आवंटन के पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि की किश्तों के पेटे राशि 25641/— मय ब्याज जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट निर्धारित तिथि को ना स्वयं उपस्थित आया व ना ही निर्धारित राशि जमा करवाई गई। अदालत मातहत द्वारा ऐसी स्थिति में अपीलांट का आवंटन बकाया किश्तों के अभाव में निरस्त किया गया है।

(3) आवंटन नियमों के तहत विशेष आवंटन के नियम 13 ए के अनुसार यदि आवंटन अवधि के 6 माह के भीतर—भीतर निर्धारित राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(3) हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन दिनांक 30—05—1999 को किया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि की बकाया राशि 25641/— मय ब्याज जमा कराने हेतु नोटिस क्रमांक 20399 दिनांक 11—10—1999 जारी किया गया। अपीलांट उक्त नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया ना ही अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की एवज में बकाया राशि ही जमा करवाई गई। जिससे साबित है कि अपीलांट वादगत् भूमि की बकाया राशि जमा करवाने का इच्छुक नहीं रहा है।

अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन सही खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 26—10—1999 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर